फा. सं., 14–24/2013–स्को.
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कांप्लैक्स, नई दिल्ली–110003
ई–मेल **pwdcgo@gmail.com**

"दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग" की केन्द्रीय क्षेत्र योजना का आरंभ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग छात्रों को सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला–परीक्षाओं में भाग लेने के लिए कोचिंग सहायता उपलब्ध कराने की योजना आरंभ की है। योजना की संक्षिप्त विशेषताएं निम्न प्रकार हैः–

कोचिंग संस्थानों की पात्रता	निम्न द्वारा चलाये जा रहे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान/केन्द्र (i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक उपक्रम एवं उनके अधीन स्वायतः निकाय (ii) विश्वविद्यालय (मानद विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों सहित) तथा (iii) पंजीकृत निजी संस्थान/गैर–सरकारी संगठन/संस्थान/केन्द्र। संस्थान/केन्द्रों के नाम संबंधित राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए जाने है।
छात्रों की पात्रता	(i) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता का न हो। (ii) पारिवारिक आयः रूपए 6.00 लाख प्रति वर्ष तक। (iii) उस परीक्षा में बैठने की पात्रता जिसके लिए वह कोचिंग प्राप्त करने का इच्छुक है।
कोचिंग शुल्क	कोचिंग फीस का निर्णय कोचिंग संस्थान के साथ किए जाने वाले अनुबंध के आधार पर किया जायेगा तथा विभाग द्वारा कोचिंग संस्थान को देय होगा।
छात्रों को देय वजीफा/भत्ता	**वजीफाः–** स्थानीय उम्मीद्वारों के लिए 2500/– रू. प्रतिमाह और बाहरी उम्मीद्वारों के लिए 5000/– रू. प्रतिमाह **दिव्यांगता के लिए विशेष भत्ताः–** 2000/– रू. प्रतिमाह

2. योजना के विस्तृत दिशा–निदेश इस विभाग की वैबसाइट अर्थात **www.disabilityaffairs.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

3. सभी इच्छुक एवं योग्य प्रतिष्ठित संस्थान इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से अपना नाम "अवर सचिव (छात्रवृत्ति)" को उपरोक्त पते पर अग्रेषित कर सकते हैं।